न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/ टीए/71/2004/अलवर

बाबू पुत्र भरता जाति धोबी निवासी ग्राम खूटेटा कला तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

...अपीलार्थी

बनाम

मूल्या पुत्र मिटठू जाति चमार निवासी ग्राम खूटेटा कला तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

...प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री सत्तार खां, सदस्य

उपस्थित

श्री राजेश गौतम व श्री सतीश पारीक अभिभाषकगण अपीलार्थी

श्री एस.के. शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक :16.08.2022

1. यह अपील राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 15–12–2003 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ के समक्ष अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि अपीलार्थी/वादी को आराजी खसरा नम्बर 411 मिन रकबा 3 बीघा 14

बिस्वा वाके ग्राम खूटेटा कला तहसील रामगढ़ में दिनांक 22–10–1977 को आवंटन की गयी एवं दिनांक 30–10–1977 को अपीलार्थी को भूमि का कब्जा दिया जाकर नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 30–10–1977 वादी के हक में तस्दीक किया गया एवं तब से वादी/अपीलार्थी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी का भूमि से कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी अनावश्यक रूप से वादी को परेशान करता है। इस कारण वादी/अपीलार्थी को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा। प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कुल 3 तनकीयात कायम की गई। विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी का दावा खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपील, विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–12–2003 द्वारा अस्वीकार कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 411 मिन रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का दिनांक 20–10–1977 को आवंटन किया गया जिसका मौके पर अपीलार्थी को कब्जा देने की घटना बही दिनांक 30–10–1977 के अनुसार कब्जा दिया गया और अपीलार्थी के नाम गैर खातेदारी का इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 30–10–1977 द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक किया गया। अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि का

आवंटी होकर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है जिसकी पुष्टि नकल जमाबन्दी संख्या 2030–2035 से होती है तथा आवंटन की तिथी से आज तक अपीलार्थी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार काबिज व्यक्ति के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर रेकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी की आवंटन कब्जे काश्तकारी की आराजी है और वह जहां कब्जा मिला वहां वह काबिज है यह तथ्य रेकार्ड पर प्रमाणित है और तनकी संख्या 1 का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में किया है और तनकी संख्या 1 का निर्णय प्रत्यर्थी के विरूद्ध किया है। विवादित आराजी को रिसीवर से बागुजार किए जाने का निर्णय पारित किया है परन्तु यह अंकित नहीं किया कि विवादित आराजी अपीलार्थी जिसके कब्जे से ली है और जो असल आवंटी है जैसा कि तनकी संख्या 1 के निर्णय से प्रमाणित है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को ही विवादित अराजी का कब्जा वापस दिए जाने के आदेश रिसीवर के नाम जारी करने चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं कर निर्णय एवं डिक्री पारित करने में भूल की है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ने अपने पक्ष में केवल खसरा परिवर्तनशील पेश किया। खसरा परिवर्तनशील में अतिक्रमि की एन्ट्री होती है। उसका कब्जा होता है तो वह बतौर अतिक्रमी करना होता है। प्रतिवादी का विनियमन साबित करना चाहिए जो नहीं किया। विचारण न्यायालय का निर्णय सेल्फ कोन्ट्राडिक्ट है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–12–2003 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27–9–2002 को अपास्त किया जावे। विद्वान

अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 2022 (29) आर.बी.जे पेज 196 की नजीर पेश की।

5. जबाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 411 मिन रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा बहुत बड़ा खसरा है जिसमें इनकी आवंटित भूमि और मुझे विनियमित भूमि इसी खसरे में है। विवादित भूमि पर कभी भी अपीलार्थी का कब्जा नहीं रहा है, क्योंकि भूमि पर रिसीवर कायम है। अपीलार्थी को भूमि आवंटित की गई थी, परन्तु मौके पर कब्जा नहीं दिया गया। जिस भूमि पर अपीलार्थी अपना कब्जा मानता है, उस भूमि में प्रतिवादी को 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटित की गई है। चूंकि अपीलार्थी/ वादी खातेदार होने के बावजूद भी काबिज नहीं है। इस कारण उनके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तगत् अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में राजस्व मण्डल की अपील संख्या 850/2002 का निर्णय दिनांक 26–04–2018 की नजीर पेश की।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 411 वाके ग्राम खूटेटा कला तहसील रामगढ़ वादी को आवंटनशुदा गैर खातेदारी की भूमि है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को खसरा नम्बर

411 में से 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण भी तस्दीक किया गया है इसके अतिरिक्त नकल जमाबन्दी में भी बतौर गैर खातेदार उसका नाम दर्ज है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि खसरा नम्बर 411 बहुत बड़ा रकबा है जिसका कुल रकबा 106 बीघा 11 बिस्वा है। आवंटन के बाद दखल देते समय दखलनामे पर पटवारी द्वारा तितम्बा काटते हुए स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है कि उसे खसरा नम्बर 411 में किस स्थान पर कब्जा दिया गया है। इसके विपरीत खसरा नम्बर 411 में प्रतिवादी को 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि विनियमित किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है। इस प्रकरण में वादी/ अपीलार्थी को मुख्य रूप से यह सिद्ध करना था कि उसका खसरा नम्बर 411 में 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर किस स्थान पर कब्जा है इस तथ्य को वह प्रमाणित नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में वादी जो अधिनियम के धारा 188 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का जो वाद लेकर आया है। वह यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसका खसरा नम्बर 411 की 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर किस स्थान पर कब्जा है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रतिवादी उसके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहा है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि विनिमय उसी भूमि का किया जाता है जिस पर कब्जा प्रमाणित हो। अतः खसरा नम्बर 411 में एक बीघा 5 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा प्रमाणित है। चूंकि खसरा नम्बर 411 बहुत बड़ा रकबा है जिसमें तितम्बा कटा हुआ नहीं है ऐसी स्थिति में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि वादी किस स्थान पर काबिज है।

8– हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के

आलोच्य निर्णयों में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाई जाती है, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9– परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 91/2002 बउनवानी बाबू बनाम मूल्या में पारित निर्णय व डिक्री 15–12–2003 एवं विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ द्वारा पारित वाद संख्या 1/52/2000 बउनवानी बाबूलाल बनाम मूल्या में निर्णय व डिक्री दिनांक 27–9–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्तार खां)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य